संख्या एवी-24018/14/2015-एडी
भारत सरकार
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
एडी अनुभाग
'बी' ब्लॉक, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 06.05.2025

सेवा में,
अध्यक्ष,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली।

विषय : राजस्थान के कोटा में घरेलू ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को **'सैद्धांतिक' स्वीकृति** प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,
मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के यू. ओ. टिप्पणी संख्या एएआई/01/15/कोटा/जीएफ/2019-एआर-II(पी)/187 दिनांक 30.12.2024, जिसमें राजस्थान के कोटा में घरेलू ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना हेतु **'सैद्धांतिक' स्वीकृति** का अनुरोध किया गया था, के संदर्भ में आपकी जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु **'सैद्धांतिक' स्वीकृति प्रमाण-पत्र** संलग्न प्रेषित किया जाता है।

भवदीय,
(गोया चक्रबोर्ती)
निदेशक
दूरभाष : 011-24610866

संलग्न : उपर्युक्तानुसार।
प्रतिलिपि :

मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार,
सचिवालय, जयपुर – 302005।

सूचनार्थ प्रतिलिपि :

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. सचिव, रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. सचिव, राजस्व विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली।
7. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए), सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली।
8. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली।
9. महानिदेशक, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए), नई दिल्ली।

10. महानिदेशक, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस), नई दिल्ली।
11. महानिदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), लोधी रोड, नई दिल्ली।

भारत सरकार

नागरिक उड्डयन मंत्रालय

सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करना

आवेदन संख्या : एवी-20036/316/2015- एएआई

आवेदक का नाम : अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

पता : राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली – 110003।

निर्णय :

सक्षम प्राधिकारी ने राजस्थान के कोटा में सार्वजनिक उपयोग हेतु घरेलू ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना के लिए **'सैद्धांतिक' स्वीकृति** प्रदान की है। यह स्वीकृति रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, राजस्व विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नीति आयोग, भारत मौसम विज्ञान विभाग, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए), नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) तथा भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए) द्वारा साइट क्लीयरेंस/'सैद्धांतिक' स्वीकृति चरण में निर्धारित शर्तों/टिप्पणियों, अन्य केंद्रीय सरकारी एजेंसियों, यदि कोई हों, द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन, विमानपत्तन अवसंरचना नीति, 1997/ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नीति, 2008 के प्रावधानों तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी देश में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन होगी।

'सैद्धांतिक' स्वीकृति प्रदान किए जाने की शर्तें

(i) परियोजना का विकास **राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (एनसीएपी), 2016** तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा समय-समय पर जारी अन्य नीतियों के अनुरूप किया जाएगा।

(ii) आवेदक को सभी विनियामक/सरकारी एजेंसियों के साथ आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करनी होंगी तथा उनके द्वारा निर्धारित शर्तों, यदि कोई हों, का भी अनुपालन करना होगा।

(iii) आवेदक द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों/वैधानिक निकायों से आवश्यक अनुमोदन/स्वीकृतियाँ/अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी), आवश्यकता अनुसार, प्राप्त किए जाएँगे। स्थल पर किसी भी प्रकार की पूर्व-विकास गतिविधि प्रारंभ करने से पूर्व इनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(iv) भारत में कंपनी के प्रबंधन में वरिष्ठ निर्णयकारी पदों पर नियुक्त किए जाने वाले विदेशी नागरिकों/भारतीय प्रतिनिधियों (गैर-सरकारी सेवकों) के लिए गृह मंत्रालय/इंटेलिजेंस ब्यूरो

(आईबी) तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के माध्यम से आवश्यक सुरक्षा स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

(v) हवाई अड्डे की मास्टर प्लान में प्रारंभिक स्तर से ही उपयुक्त डिज़ाइन/मानकों को सम्मिलित करते हुए **नेट ज़ीरो (Net Zero)** लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्बन उत्सर्जन में कमी के उपाय किए जाएँगे, जिनमें अन्य बातों के साथ **100% हरित ऊर्जा (Green Energy)** का उपयोग शामिल होगा।

(vi) परियोजना प्रवर्तक/हवाई अड्डा विकासकर्ता, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) की **सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स (सीएआर), अनुभाग–4, श्रृंखला 'एफ', भाग–I, दिनांक 16.10.2006,** तथा समय–समय पर किए गए संशोधनों का अनुपालन करेगा।

(vii) आवेदक को इस प्रमाण–पत्र के जारी होने की तिथि से **पाँच (5) वर्ष** के भीतर विकास कार्य प्रारंभ करना होगा। यदि पाँच (5) वर्ष के भीतर विकास कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है अथवा परियोजना मूल प्रस्ताव से भिन्न पाई जाती है, तो यह प्रमाण–पत्र बिना किसी अन्य सूचना के स्वतः **निरस्त एवं शून्य** माना जाएगा। ऐसी स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर नवीन **'सैद्धांतिक' स्वीकृति** प्राप्त करना आवेदक की जिम्मेदारी होगी।

दिनांक : 06.05.2025

(जयंत चक्रवर्ती)

निदेशक

दूरभाष : 011-24610366